न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थी :–

1. नारायणराम पुत्र कुंभाराम जाट
   निवास कुणी तह.नावां

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ईश्वरराम पुत्र हेमाराम जाट
2. जयराम पुत्र बालूराम जाट
3. जैसाराम पुत्र कुंभाराम जाट
4. भोमाराम पुत्र उदाराम जाट
5. श्रवणराम पुत्र हेमाराम जाट
6. सुवादेवी पत्नी कुंभाराम जाट (हफज)
7. ओमप्रकाश पुत्र धन्नाराम जाट
8. पायलीदेवी पुत्री रामपाल जाट
9. भंवरलाल पुत्र छितरराम जाट
10. भंवरीदेवी पत्नी धन्नाराम जाट
11. भीवाराम पुत्र बालूराम जाट
12. रतनीदेवी पत्नी रामपाल उर्फ दानाराम
13. रामेश्वर पुत्र धन्नाराम जाट
    निवासी कुणी तह. नावां
14. मैनेजर एस.बी.आई. सांभरलेक
15. मैनेजर एच.डी.एफ.सी.बैंक भाकरोटा
16. मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक चौमू
17. मैनेजर युको बैंक गुढासाल्ट
18. उप पंजीयक नावां
19. तहसीलदार नावां
20. घीसालाल पुत्र किशनलाल ब्राहम्ण फौत
    20/1 राहुल पुत्र घीसालाल ब्रहाम्ण
    20/2 कंचन देवी पुत्री घीसालाल ब्राहम्ण
    20/3 सुमनदेवी पुत्री घीसालाल ब्राहम्ण
    20/4 अनितादेवी पुत्री घीसालाल ब्राहम्ण
    20/5 कौशल्यादेवी पुत्री घीसालाल ब्राहम्ण
21. सीतादेवी पत्नी सीताराम ब्राह्मण कुणी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील प्रार्थी

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील अप्रार्थी 2,7, 9, 10, 12, 13

मुकदमां नम्बर :– 81/2018, 99/2018 निर्णय दिनांक :– 17.07.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305 रकबा 0.03 हैक्टयर, 307 रकबा 5.10 हैक्टयर प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 6 की सह खातेददारी भूमि में दर्ज चली आ रही हैं खसरा नम्बर 314 रकबा 0.40 व खसरा नम्बर 309 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

1.20 हैक्टर , 310 रकबा 4.026 हैक्ट प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने का कोई कटाणी रास्ता दर्ज नहीं हैं जबकि खसरा नम्बर 314 में से खसरा नम्बर 309 व 310 की उत्तरी सीमा के सहारे – सहारे खसरा नम्बर 307 के पश्चिमी सीवें के सहारे – सहारे होते हुऐ उत्तरी सीम के पास पास खसरा नम्बर 305 तक मौके पर 5 मीटर चौड़ा रास्ता चालू हैं जो काफी वर्षो से रास्ते के उपयोग – उपभोग करते आ रहे हैं। भविष्य में रास्ते को लेकर कोई विवाद नही हो जिससे राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्ता दर्ज किया जाना अवश्यक हैं। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु सलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 314 में लगता हुआ, खसरा नम्बर 309, 310 की उत्तरी सीमा के सहारे – सहारे 5 मीटर चौडाई का गै.मु. रास्ता कायम कर तरमिम किया जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1, 4, 5 ने इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं। अप्रार्थी 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ने जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुऐ निवेदन किया हैं कि ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने का कोई कटाणी मार्ग दर्ज नही हैं खसरा नम्बर 314, 309, 310 की उत्तरी सीमा के पास पास 307 के पश्चिमी सीमा के पास पास होते हुऐ उत्तरी सीमा के पास पास खसरा नम्बर 305 तक जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं हैं न ही कोई रास्ते का उपयोग – उपभोग हुआ हैं प्रार्थी ने गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने के लिए नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 304, 816/304 की भूमि में से होते हुऐ खसरा नम्बर 263 कुणी से चौसला जाने वाली सड़क मार्ग हैं उक्त रास्ता सबसे नजदीक हैं। इसी न्यायालय में जयराम बनाम ईश्वरराम मुकदमां नम्बर 99/2018 विचाराधीन हैं जिसमें खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु नजदीकी रास्ते की मांग की गई हैं जिसमें प्राप्त मौका रिपोर्ट में उक्त भूमि के सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 304, 816/304 की पूर्वी सीव के पास पास कुणी से चौसला लाने वाली सड़क खसरा नम्बर 263 सबसे नजदीक बताया हैं। खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता स्थित नही हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में भी यही प्रावधान हैं कि सबसे नजदीकी रास्ता ही दिया जा सकता हैं प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा हैं वह काफी लम्बा हैं। अप्रार्थी 8 पायलीदेवी जो नाबालिग हैं जिसकी उम्र 10 वर्ष हैं जिसको प्रार्थी ने पक्षकार बनाया हैं तथा उसके कोई संरक्षर भी नही बनाया है। अप्रार्थी 8 नाबालिग के विरूद्ध प्रार्थी कोई कार्यवाही करवाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी ने सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से रास्ते की मांग नहीं की हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं खारिज फरमाया जावे, शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया हैं कि इसी न्यायालय में एक ओर प्रकरण जो अप्रार्थी 2 जयराम द्वारा धारा 251ए के तहत पेश कर रखा हैं जिसका अनुवान जयराम बनाम ईश्वरराम मुकदमां नम्बर 99/2018 हैं, जिसमें भी आज दिनांक की ही पैशी नियत हैं, जिसका अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी जयराम द्वारा ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305 व 307 में आने जाने हेतु ग्राम कुणी के ही खसरा नम्बर 304 रकबा 3.65 हैक्टयर व खसरा नम्बर 816/304 रकबा 0.40 हैक्टयर भूमि की पूर्वी माठ के पास – पास उत्तर से दक्षिण 95 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का खसरा नम्बर 263 गै.मु. रास्ते तक घोषित किऐ जाने की इस्तदुआ की गई है। दोनों प्रार्थना पत्रों में रास्ता खसरा नम्बर 305, 307 में ही चाहा गया हैं, जिसमें अप्रार्थी लगभग एक ही है, व अप्रार्थी पायलीदेवी की संरक्षक माता रतनीदेवी, भंवरलाल, भंवरीवी, रतनीदेवी एवं रामेश्वरलाल ने इकबालिया जवाब पेश कर जयराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 99/2018 में चाही गई इस्तददुआ अनुसार रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की हैं। साथ ही अप्रार्थी 1 से 3 ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र 99/018 जयराम बनाम ईश्वरराम को अस्वीकार करते हुऐ निवेदन किया हैं कि खसरा नम्बर 305, 307 केवल जयराम की खातेदारी भूमि नहीं होकर उसमें हम भी सह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं, खसरा नम्बर 304, 8816/304 की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा हैं न ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा हैं। ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305, 307 व खसरा नम्बर 313, 314, 309, 310, 504, 505, 506, 508, 509, 513, 523 कुल रकबा 18.37 हैक्टयर भूमि हम पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं जिसमें खसरा नम्बर 313, 314 व 504 के रास्ता खसरा नम्बर 503 लगता हैं। खसरा नम्बर 305, 307 तक पहुचने का मार्ग कटाणी रास्ता लगता हो, तो रास्ते का प्रार्थना पत्र आवेदन प्रस्तुत करना ही न्यायालय का समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं हैं। खसरा नम्बर 305, 307 में मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 504, 310, 309, 305 व 313, 314 में से रास्ता मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चालू हैं उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं जिसका भू – विभाजन नहीं हो रखा हैं जबकि भू – विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का सहहिस्सेदारी की भूमि दर्ज में चली आ रही हैं खसरा नम्बर 305, 307 में चाहे गए रास्ते का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त दोनों ही प्रार्थना पत्रों में ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305, 307 में ही अपने जाने हेतु रास्ता चाहा गया हैं, दोनों प्रकरणों में पक्षकार भी एक ही हैं केवल 99/2018 में अप्रार्थी 5 घीसाराम भिन्न हैं जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं जिसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जा चुका हैं तथा विधिवत रूप से नोटिस तामील होकर एक पक्षीय कार्यवाही हो चुंकि है। जिससे उक्त दोनों प्रार्थना पत्र 81/2018 नारायण बनाम ईश्वरराम व 99/2018 जयराम बनाम ईश्वरराम पृथक पृथक निर्णय नही कर एक ही निर्णय किया जाना उचित हैं। दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी नारायणराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 81/2018 में ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 314 से लगता हुआ खसरा नम्बर 309, 310 की उत्तरी सीमा के पास– पास 5 मीटर चौड़ई के रास्ते की मांग की हैं जिसमें अप्रार्थी 1 ईशवरराम, 5 भोमाराम व 5 श्रवणराम ने इकबालिया जवाब पेश कर सहमति दी हैं, जबकि अप्रार्थी 2,7, 9, 10, 12, 13 ने अपने जवाब में एतराज करते हुऐ बताया हैं कि खसरा नम्बर 309, 310 मे से कोई रास्ता मौके पर नहीं चलता हैं, रास्ते की लम्बाई अधिक हैं। जबकि खसरा नम्बर 305, 307 के सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 304, 816/304 के उतर में लगती हुई सड़क खसरा नम्बर 263 स्थित हैं जिससे खसरा नम्बर 304, 816/304 की पूर्वी सीवं के पास पास रास्ता दिया जाता हैं तो उसकी दूरी मात्र 95 मीटर ही हैं। खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु एक अन्य प्रार्थना पत्र अप्रार्थी 2 द्वारा इसी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा हैं जिसमें खसरा नम्बर 304, 816/304 में से रास्ते की मांग की गई हैं जिसमें अप्रार्थी 4, 6, 7, 8, 9, 10 ने इकबालिया जवाब पेश कर सहमति दी हैं। जिसके जवाब में प्रार्थना पत्र संख्या 81/2018 के प्रार्थी नारायणराम व अप्रार्थी ईश्वराम, श्रवणराम ने एतराज पेश करते हुऐ निवेदन किया हैं कि खसरा नम्बर 305, 307 में मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 313, 314, 309, 310, 504, 505, 506, 508, 509, 513, 523 कुल रकबा 18.37 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि सह खातेदारी की भूमि में जिसमें सभी उभय पक्षकारान सह खातेदार काश्तकार हैं खसरा नम्बर 313, 314 व 504 के गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 503 लगता हुआ हैं जिसमें से होकर मौके पर अपनी सुविधा अनुसार रास्ता कायम कर रखा हैं जो खसरा नम्बर 305, 307 तक आने जाने हेतु मौके पर चालू हैं इसी रास्ते को कटाणी रास्ता दर्ज किया जावे, जिसके जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया हैं कि खसरा नम्बर 313, 314 में से खसरा नम्बर 305, 307 तक कोई रास्ता नहीं हैं न ही मौके पर चालू हैं, तथा उक्त रास्ते की लम्बाई काफी हैं जबकि खसरा नम्बर 304, 816/304 की पूर्वी सीव पर रास्ता दिया जाता हैं तो उसकी दूरी मात्र 95 मीटर हैं।

हमने पत्रावली 81/2018 में तहसीलदार के पत्रांक 23 दिनांक 06.02.2019 से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें बताया गया हैं कि ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 314, 310, 309, 307 में सभी पक्षकार सह खातेदार काश्तकार हैं सभी खातेदारो ने अपनी – अपनी काश्त अनुसार तरबन्दी व बाड़ तथा डोल लगा रखी हैं तथा मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार आना जाना कर रहे हैं वर्तमान में आपसी विवाद के चलते खातेदार भंवरलाल पुत्र छितरराम द्वारा कच्ची डोल लगाकर रास्ता बन्द कर रखा हैं संयुक्त खातेदारी भूमि तथा खसरा नम्बर 315 गै.मु. आबादी में वर्तमान में कुल 9 परिवार पिछले 75 वर्षो से निवास कर रहे हैं तथा आज तक नक्शे में दर्शित रास्ते से आना जाना कर रहे हैं चुंकि खसरा नम्बर 314, 315 ग्राम कुणी की आबादी भूमि से कटाणी मार्ग से जुड़ा हुआ हैं तथा उसके आगे खसरा नम्बर 310, 309 व 307 संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से कब्जा काश्त अनुसार खेती करते आ रहे हैं खातेदारी भूमि कटाणी रास्ते से जुडी हुई हैं अन्य किसी वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता नही है, अप्रार्थी 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 99/2018 में

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 307, 305 में आवागमन हेतु नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 816/304 एवं 304 की पूर्वी सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण 95 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिया जाना उपर्युक्त हैं जिसमें कोई वृक्ष भी नहीं आता हैं। दोनों प्रकरणों प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 309, 310, 504, 505, 506, 508, 509, 513523 कुल रकबा 18.37 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 13 सह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं, प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 4, 5 ने स्वीकार किया हैं कि खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु हमारी सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 314, 310, 309, 307 में से 305 तक जाने के लिऐ रास्ता हैं तथा मौके पर चालू हैं। जिसको अप्रार्थी 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ने अस्वीकार किया हैं तथा उक्त रास्ता काफी लम्बा होना बताया हैं तथा मौके उक्त रास्ता चालू नहीं होना बताया हैं। बल्कि खसरा नम्बर 816/204, 304 की पूर्वी सींव के पास पास खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाता हैं तो उसकी दूरी मात्र 95 मीटर हैं। तथा प्रार्थना पत्र 99/2018 में खातेदार जयराम ने खसरा नम्बर 816/204, 304 की पूर्वी सींव के पास पास खसरा नम्बर 305, 307 में आने जाने हेतु मांग की हैं, प्रार्थना पत्र संख्या 99/2018 के जवाब में श्रवणराम, भोमाराम व ईश्वरराम ने बताया हैं कि सम्पूर्ण भूमि संयुक्त खातेदारी में हैं जिसके खसरा नम्बर 313, 314 की भूमि के खसरा नम्बर 503 गै.मु. कटाणी रास्ता लगता हैं जिससे खसरा नम्बर 305, 307 तक रास्ता मौके पर चालू हैं तथा नारायणराम व श्रवणराम, भोमाराम व ईश्वरराम ने जवाब के पैरा संख्या 7 में स्वीकार किया हैं कि खसरा नम्बर 305, 307 तक पहुचने के लिऐ कटाणी रास्ता लगता हैं तो रास्ते का आवेदन करना न्यायालय का समय बर्बाद करना हैं दूसरी तरफ प्रार्थना पत्र संख्या 81/2018 में नारायणराम स्वंय ने खसरा नम्बर 305, 307 तक आने जाने के लिऐ रास्ते की मांगी हैं जिसमें श्रवणराम, भोमाराम व ईश्वराम ने इकबालिया जवाब पेश कर सहमति दी हैं तथा स्वीकार कया हैं कि भूमि का बंटवारा नही हो रखा हैं जब तक बंटवारा नही हो रखा हैं जब तक बंटवारा नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा व हिस्सा हैं जिससे खसरा नम्बर 307, 305 में रास्ता दिऐ जाने का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं, खसरा नम्बर 305, 307 में रास्ता चाहने का प्रार्थना पत्र 99/2018 खारिज फरमाया जावे, जबकि स्वंय नारायणराम ने खसरा नम्बर 305, 307 में रास्ता दिये जाने प्रार्थना पत्र संख्या 81/2018 पेश की रास्ता दिये जाने की मांग की है। जयराम के अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया हैं कि भूमि संयुक्त खातेदारी में हैं लेकिन मौके पर भौतिक बंटवारा हो रखा हैं तथा सभी की अलग अलग सीवें नीवें कायम हो रखी हैं मुझ प्रार्थी जयराम को खसरा नम्बर 305, 307 में हक हिस्सा दिया गया हैं जहां मेरी काश्त व कुआ हैं जो प्रार्थना पत्र 81/2018 में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट साबित होता हैं। नारायणराम व श्रवणराम व भोमाराम ने जो वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 313, 314 व 309 में बताया हैं वे रास्ता सह खातेदारो ने अपनी सुविधा के लिए खातेदारी भूमि में होना बताया हैं जिसको आए दिन कोई न कोई खातेदार बन्द कर देता सबसे पीछे जयराम का हक हिस्सा हैं

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

जिसके आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता भी नहीं बचता हैं। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि विवादित भूमि का मौके पर भौतिक बंटवारा हो रखा हैं सभी की अलग अलग सीवें नीवें कायम हैं जयराम को सबसे पीछे खसरा नम्बर 307, 305 में हक हिस्सा दिया गया हैं नारायणराम ने जा वैकल्पिक रास्ता बताया हैं वे उनकी की खातेदारी में से हैं जिसको सह खातेदार भंवरलाल ने बन्द कर रखा हैं ऐसी स्थिति में खातेदार जयराम के हक हिस्से तक आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं बचता हैं, नक्शा ट्रसे के अवलोकन मात्र से प्रतीत होता हैं कि प्रार्थना पत्र 81/2019 में नारायणराम द्वारा मांगा गया रास्ता कफी लम्बा हैं जबकि खसरा नम्बर 305, 307 में सबसे नजदीक कटाणी रास्ता कुणी से चौसला जाने वाली सड़क हैं उस सड़क से खसरा नम्बर 816/304, 304 की पूर्वी सीव के पास पास केवल 95 मीटर दूरी पर खसरा नम्बर 305, 307 स्थित हैं इससे नजदीक अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं हैं। जिससे प्रार्थना पत्र 81/2018 नारायणराम बनाम ईश्वरराम में मांगा गया रास्ता काफी लम्बा हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में स्पष्ट उल्लेख हैं कि किसी भी भूमि में किसी खातेदारी की सुविधा के लिऐ रास्ता नहीं दिया जा सकता हैं, सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से ही रास्ता दिया जा सकता हैं प्रश्गत दोनों प्रकरणों में खसरा नम्बर 307, 305 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता ग्राम चौसला से कुणी जाने वाली सड़क जिसके खसरा नम्बर 263 हैं जिसकी दूरी मात्र 95 मीटर हैं जो सबसे उपर्युक्त है। जिससे प्रार्थना पत्र 81/2018 नारायणराम बनाम ईश्वरराम खारिज किया जाता हैं एवं प्रार्थना पत्र 99/2018 जयराम बनाम ईश्वरराम स्वीकार कया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नावां को आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 305, 307 में आवागमन हेतु ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 304 रकबा 3.95 हैक्टयर, खसरा नम्बर 816/304 रकबा 0.40 हैक्टयर भूमि में से कम कर पूर्वी माठ के पास–पास उत्तर से दक्षिणी 95 मीटर लम्बाई में व 4 मीटर चौड़ाई में कुल 380 वर्गमीटर गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज किया जाकर तरमीम किया जावे। रास्ते में गई भूमि के बदले ग्राम कुणी की वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना करते हुऐ दो गुणा राशि अप्रार्थी जयराम पुत्र बालूराम जाट से वसूल कर .खसरा नम्बर 304, 816/304 की भूमि में दर्ज खातेदारो को उनके हक हिस्से माफिक भुगतान किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)